बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)–181–02 / 2026–70

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–12/06/2026

विषय–वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रकाशन एवं मुद्रण मद में आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों की छपाई आदि कार्य पर व्यय की गई कुल राशि ₹5,52,748 / –(पाँच लाख बावन हजार सात सौ अड़तालीस रू0) मात्र का आवंटन।

प्रसंग–वित्त विभाग का पत्रांक–599 दिनांक–01.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग का पत्रांक–599 दिनांक–01.06.2026 द्वारा 90% बंधेज शिथिलिकरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रकाशन एवं मुद्रण मद में आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों की छपाई आदि कार्य पर व्यय की गई कुल राशि ₹5,52,748 / –(पाँच लाख बावन हजार सात सौ अड़तालीस रू0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2–कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026–27 में आय व्यय शीर्ष माँग सं0–44–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–0003–आवासीय विद्यालय–विषय शीर्ष–0003.16.01–प्रकाशन एवं मुद्रण मद में विपत्र कोड सं0–44–2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3–इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4–वित्त विभाग के पत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5–उक्त राशि का व्यय आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रश्न पत्रों की छपाई आदि कार्य के लिए किया जाएगा।

6–संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7–आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

11/6/26

निदेशक

ज्ञापांक–4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)–181–02 / 2026– 70 पटना, दिनांक–12/06/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना / सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / उपनिदेशक(मु0), अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार / संबधित प्रमंडलीय आयुक्त / सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा / आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक